

पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०

राज्य विधान मण्डल के द्वितीय सत्र का सत्रावसान

लखनऊ: 22 सितम्बर, 2016

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नार्डक ने राज्य विधान मण्डल के द्वितीय सत्र का सत्रावसान कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि राज्यपाल को 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) द्वारा राज्य विधान मण्डल के सत्र का सत्रावसान करने का अधिकार प्राप्त है।

अंजुम/ललित/राजभवन (347/39)